क्रम संख्या–108

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 05 अगस्त, 2004 ई0

श्रावण 14, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 210/विधायी एवं संसदीय कार्य/2004

देहरादून, 05 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2004 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 29–07–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 06, सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 06, सन् 2004)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए .

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2004 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रभावी होगा।

मूल अधिनियम की धारा 2 का संशोधन एवं नई धारा का जोड़ा जाना

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2(ञ) के स्थान पर निम्नवत् संशोधन कर दिया जायेगा तथा तदुपरान्त एक नई धारा 2 (ठ–1) जोड़ दी जायेगी, अर्थात्:–

(क) धारा 2(ञ)–"स्थानीय निकाय" का तात्पर्य उत्तरांचल में प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत से है।

(ख) धारा 2(ठ–1)–"नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है।

मूल अधिनियम की धारा 13 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) तथा खण्ड (आठ) के स्थान पर निम्न संशोधन कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

धारा 13 (1)–मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) में "जिला परिषद्", "क्षेत्र समिति" एवं "ग्राम सभा" के स्थान पर क्रमशः "जिला पंचायत", "क्षेत्र पंचायत" और "ग्राम पंचायत" रख दिया जायेगा।

मूल अधिनियम की धारा 13 (1) (आठ) का संशोधन

4. धारा 13 (1) (आठ)–मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (आठ) को निम्नवत् संशोधित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

(क) यदि मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत 20 से अधिक ग्राम पंचायतें न हों, तो पांच, जिनमें से–

(एक) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा;

(दो) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का, होगा; और

(तीन) एक ऐसी महिला जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हो, होगी।

(ख) यदि मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत 20 से अधिक किन्तु 30 से अनधिक ग्राम पंचायतें हों, तो सात, जिनमें से–

(एक) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा;

(दो) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का होगा;

(तीन) एक ऐसी महिला जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हो, होगी; और

(चार) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला होगी।

(ग) यदि मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत 30 से अधिक किन्तु 40 से अनधिक ग्राम पंचायतें हों, तो नौ, जिनमें से–

(एक) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा;

(दो) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का होगा;

(तीन) दो ऐसी महिलायें जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हों, होंगी; और

(चार) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला होगी।

(घ) यदि मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत 40 से अधिक ग्राम पंचायतें हों, तो ग्यारह, जिनमें से–

(एक) दो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के होंगे;

(दो) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का होगा;

(तीन) दो ऐसी महिलायें होंगी जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हों;

(चार) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला होगी; और

(पांच) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की महिला होगी।

(ङ) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (एक) के खण्ड (आठ) के प्रस्तर (ब), (म) एवं (य) में प्रयुक्त शब्द "जिला परिषद्", "क्षेत्र समिति" एवं "ग्राम सभा" के स्थान पर क्रमशः "जिला पंचायत", "क्षेत्र पंचायत" और "ग्राम पंचायत" रख दिया जायेगा तथा प्रस्तर (य) में प्रयुक्त शब्द "और विधान परिषद्" विलोपित समझा जायेगा।

इसी प्रकार, स्पष्टीकरण खण्ड में अंकित शब्द "जिला परिषद्" के स्थान पर "जिला पंचायत" रख दिया जायेगा।

इसके बाद निम्न खण्ड जोड़ दिया जायेगाः–

"अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों (सीटों) का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।"

मूल अधिनियम की धारा 14 के बाद नई धाराओं का जोड़ा जाना

5. मूल अधिनियम की धारा 14 में धारा 14 (क) एवं धारा 14 (ख) निम्न प्रकार जोड़ दी जायेंगी, अर्थात्:–

धारा 14 (क) –भ्रष्ट आचरणः

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 7 के अध्याय–1 की धारा 123 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित मण्डी समिति के निर्वाचन पर लागू होंगे।

धारा 14 (ख)–निर्वाचन अपराधः

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 7 के अध्याय–3 की धारा 125, 126, 127, 127–क, 128, 129, 130, 131, 132, 132–क, 134, 134–क, 135, 135–क, और 136 के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों–

(क) उनमें किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश इस अधिनियम के अधीन आयोजित निर्वाचन के प्रति निर्देश हों;

(ख) धारा 127–क में उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में शब्द "मुख्य निर्वाचन ऑफिसर" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन निदेशक" रख दिये गये हों;

(ग) धारा 134 और 136 में शब्द "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन" के स्थान पर शब्द "उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 द्वारा या उसके अधीन" रख दिये गये हों;

(घ) धारा 135–क में–

(एक) शब्द "सरकार" के स्थान पर "सरकार, परिषद् या किसी मण्डी समिति" रख दिये गये हों।

(दो) स्पष्टीकरण में शब्द "इस उपधारा और धारा 20–ख" के स्थान पर शब्द "इस धारा" रख दिये गये हों।

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव।